

प्रेस नोट

01.01.2021

मुख्तार अंसारी गिरोह के दो अपराधियों सहित 09 शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गयी जिलाबदर की कार्यवाही—

जनपद में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी मऊ श्री अमित सिंह बंसल द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह के 02 अपराधियों सहित कुल 09 शातिर अभ्यासतन अपराधियों को जिला बदर घोषित किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है—

मुख्तार अंसारी गिरोह—

1. अजीत सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह उर्फ राधेप्रताप सिंह निवासी देवसीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ (06 माह)
2. प्रभात राय उर्फ बन्टी पुत्र मनोज राय निवासी कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ (06 माह)

अन्य अपराधी—

1. रमेश यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी धर्मपुर विशुनपुर जरहलवा थाना मधुबन जनपद मऊ (02 माह)
2. गौरव सिंह पुत्र ओंकार सिंह निवासी असलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ (04 माह)
3. मुन्ना उर्फ आबिद पुत्र हफाजुल्लाह निवासी महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ (06 माह)
4. फूलना उर्फ अतहर पुत्र अब्दुल्लाह निवासी करीमाबाद थाना कोपागंज जनपद मऊ (03 माह)
5. प्रशान्त उर्फ जुगनू पुत्र अश्वनी पाण्डेय निवासी कासिमपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ (06 माह)
6. जगदीश यादव पुत्र रधुनाथ यादव निवासी हसनपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ (06 माह)
7. सच्चिदानन्द चौहान पुत्र चन्नर उर्फ रामचन्द्रर निवासी तारनपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ (06 माह)

दो अन्तर्जनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस, अवैध रामपुरी चाकू चोरी का मोबाईल व आभूषण बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.01.2021 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चौहान चौक कस्बा दोहरीघाट के पास से जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनेश उर्फ लकी उर्फ बुढवा पुत्र संतराज, देवदत्त गोड़ उर्फ दीपक पुत्र श्याम प्यारेलाल गौड़ निवासीगण हीरापट्टी ब्रम्हस्थाना थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद नाजायज रामपुरी चाकू, चोरी के आठ मोबाईल फोन व आभूषण तीन अदद अगुठी पीली घातु, एक अदद अगुठी सफेद घातु, चार अदद पायल सफेद घातु, दश अदद विछिया सफेद घातु, एक अदद लाकेट सफेद घातु, दो अदद टप्स पीली घातु एक अदद जंजीर सफेद घातु, 4240 रूपया नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा दिनांक हमारे द्वारा दिनांक 11.09.2020 को धनौली बाइपास के निकट एक पक्के घर में चोरी किया गया था जहा पर मोबाईल व नगदी चुराये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी दीनानाथ राय की तहरीर पर मु0अ0सं0 415/20 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। दिनांक 29.09.2020 को अहिरानी पेट्रोल पंप के सामने ही पेप्सी गोदाम में चोरी किये थे जहा से 02 पुरानी बैट्री चोरी किये थे। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी

आकाश सिंह की तहरीर पर मु0अ0सं0 464/20 धारा 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत था। इसके अलावा दिनांक 08.08.2020 को जनपद आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र के भैसाड़ में तथा दिनांक 29.12.2020 को भी भैसाड़ में हमारे द्वारा चोरी की गयी थी।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 01/21 धारा 41,411,414 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त दिनेश उर्फ लकी उर्फ बुढवा पुत्र संतराज के विरुद्ध मु0अ0सं0 3/21 आयुध अधिनियम व देवदत्त गोड़ उर्फ दीपक पुत्र श्याम प्यारेलाल गौड़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 2/21 धारा 4/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. दिनेश उर्फ लकी उर्फ बुढवा पुत्र संतराज निवासी ग हीरापट्टी ब्रम्हस्थाना थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. देवदत्त गोड़ उर्फ दीपक पुत्र श्याम प्यारेलाल गौड़ निवासी हीरापट्टी ब्रम्हस्थाना थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

बरामदगी—

1. एक नाजायज तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर।
2. एक नाजायज रामपुरी चाकू।
3. चोरी के आठ मोबाईल फोन।
4. आभूषण तीन अदद अगुठी पीली घातु, एक अदद अगुठी सफेद घातु, चार अदद पायल सफेद घातु, दस अदद विछिया सफेद घातु, एक अदद लाकेट सफेद घातु, दो अदद टप्स पीली घातु एक अदद जंजीर सफेद घातु।
5. 4240 रूपया नगद बरामद।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम—

थानाध्यक्ष दोहरीघाट सच्चिदानन्द यादव, उ0नि0 अजीत दुबे, उ0नि0 श्यामजी यादव, का0 विकाश वर्मा, का0 संजीव प्रसाद, हे0का0 चालक काशीनाथ पाण्डेय, म0का0 नेहा शुक्ला, हो0गा0 अवधेश यादव थाना दोहरीघाट।

155 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब व बनाने के उपकरण बरामद 06 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 01.01.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा सिरसा के पास से अफरोज पुत्र फेकू कुरैसी निवासी सीरसा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के कब्जे 35 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा नंद किसोर पुत्र लालबहादुर निवासी गोलघट्ट देवारा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे से 20 लीटर व 15 शीशी बन्टी बबली (180 मिली0) सुरजीत पासवान, अवधेश पासवान पुत्रगण बेचू पासवान निवासीगण मीरपुर बनकरी थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 20 लीटर, रामनयन पुत्र स्व0 कैलाश निवासी धर्मपुर देवारा थाना मधुबन के कब्जे से 20 लीटर, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा रानीपुर पुलिस द्वारा एकड़डा से 50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब व बनाने के उपकरण 03 किलों फिटकरी, 01 किलों नौसादर, 05 किलों यूरिया बरामद किया गया जबकि अभियुक्त भागने में सफल रहे, थाना **रामपुर** पुलिस द्वारा चन्द्रापार से सुरेन्द्र कनौजिया पुत्र बंशी कनौजिया निवासी नेमडाड़ थाना रामपुर जनपद मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार

किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 18 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 01.01.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा संजय निवासी भटौली थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा अवनीश यादव निवासी पहसा, जैनब खातून, सबिना, सबनम, नूरजहा, तहिरुन्नीशा, इमराना निवासीगण सहुआरी थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रमेश सैनी, आशीष सैनी निवासीगण चन्दनपुरा थाना कोपागंज, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा रणजीत निवासी विग्रहपुर थाना मधुबन, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा रामबचन, रामकुवर, सुमेर निवासीगण अस्सी भवन थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा प्रहलाद राजभर, रामअवध निवासीगण उमापुर, सूरज प्रकाश निवासी डुमराव, राकेश कुमार निवासी ताजपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।